जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हल्दौर **दिनांक 31.07.2025**

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 191/2025 धारा 74/351(3) बीएनएस व 9M/10 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 29.07.2025 को वादिया ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि वादिया की पुत्री दिनांक 28.07.2025 को दुकान से सामान लेकर घर आ गयी थी । रास्ते में अभियुक्तगण 1.नवनीत उर्फ फुल्ली पुत्र होशराम सिंह 2.बन्टी पुत्र खेम सिंह निवासीगण ग्राम शफीपुर हीरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया की पुत्री के साथ छेडछाड की व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 191/2025 धारा 74/351(3) बीएनएस व 9M/10 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नवनीत उर्फ फुल्ली पुत्र होसराम सिंह निवासी ग्राम सफीपुरहीरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नवनीत उर्फ फुल्ली पुत्र होसराम सिंह निवासी ग्राम सफीपुरहीरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
2.का0 1389 ओमवीर सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3.का0 2561 निर्दोष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– जनपद बिजनौर **दिनॉक 31.07.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में 32वें व 33वें हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों सहित कुल 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व ₹2,10,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । ।

कार्यवाही: –

दिनांक 11.03.2018 को वादी अमीरूद्दीन पुत्र बाले मियां निवासी मौ0 भजडयो सराय कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने अभियुक्तगण 1.अकरम पुत्र सीनू 2.अशरफ पुत्र असलम निवासीगण मौ0 मिल्कियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 3.कलवा पुत्र अख्तर निवासी ग्राम मुकरपुरी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 4.वसीम उर्फ गलकटा पुत्र फुरकान निवासी मौ0 बन्दूकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा अपने हाथों में तमंचे लेकर फायरिंग करना तथा वादी के पुत्र अलीम को तमंचे से गोली मारने व वसीम के सिर पर तमंचे का बट्ट मार देने से दोनो गंभीर रूप से घायल हो जाने के संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 115/18 धारा 307 भादवि पंजीकृत कराया गया था। उपचार के दौरान अलीम की मृत्यु हो जाने पर अभियोग में धारा 302 भादवि की वृद्धि की गयी। स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे विवेचना उपरांत आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

उपरोक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 31.07.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे नं0– 01, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 115/18 धारा 302/307/34 भादवि के आरोपी 1.अकरम पुत्र सीनू 2.अशरफ पुत्र असलम 3. कलवा पुत्र अख्तर 4.वसीम उर्फ गलकटा पुत्र फुरकान, प्रत्येक को आजीवन कारावास व कुल 2,10,000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

नोट– उल्लेखनीय है कि अभियुक्त **वसीम उर्फ गलकटा उपरोक्त थाना धामपुर का हिस्ट्रीशीटर (हिस्ट्रीशीट सं0– 5ए) तथा जनपद का टॉप–10 अपराधी भी है,** जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर हत्या/डकैती/गैंगस्टर एक्ट/लूट/चोरी आदि धाराओं में एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त अकरम उपरोक्त थाना स्योहारा का हिस्टीशीटर (हिस्ट्रीशीट सं0– 160ए) अपराधी है जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानो पर हत्या/लूट/गैंगस्टर एक्ट/डकैती/लूट/चोरी आदि धाराओ मे एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:–

1.अकरम पुत्र सीनू निवासी मौ0 मिल्कियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2.अशरफ पुत्र असलम निवासी मौ0 मिल्कियान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3.कलवा पुत्र अख्तर निवासी ग्राम मुकरपुरी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4.वसीम उर्फ गलकटा पुत्र फुरकान निवासी मौ0 बन्दूकचियान कस्बा व थाना धामपुर बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर दिनांक 31.07.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 649/2025 धारा 304(2)/317(2) बी0एन0एस0 से संबंधित अभियुक्त को छीने गए 410 रुपयों सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 31.07.2025 को वादी आफताब पुत्र शहाबुदीन निवासी मौ0 बडवान चाहशीरी बी 24 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि वादी अपनी पत्नी के साथ नूरपुर से घर जा रहा था। रामलीला ग्राउण्ड के पास अभियुक्त फैजल पुत्र सिराजुद्दीन निवासी इरशाद कालोनी थाना को0शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पत्नी से पर्स छीन लिया गया , जिसमे 410 रुपये थे। वादी द्वारा स्थानीय व्यक्तियों की मद्द से मौके पर ही अभियुक्त फैजल उपरोक्त को पकड लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 649/2025 धारा 304(2)/317(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त फैजल पुत्र सिराजुद्दीन निवासी इरशाद कालोनी थाना को0शहर जनपद बिजनौर को छीने गए एक पर्श व 410 रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फैजल पुत्र सिराजुद्दीन निवासी इरशाद कालोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगीः-

एक पर्स व 410 रुपए।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर दिनांक – 31.07.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

दिनांक 30.07.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त अननसु पुत्र रामप्रसाद निवासी मौहम्मदपुर अक्कू थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 650/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अननसु पुत्र रामप्रसाद निवासी मौहम्मदपुर अक्कू थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.हे0कां0 603 आदेश थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3.हे0कां0 580 राहुल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

4.कां0 1475 अश्वनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर **दिनांक – 31.07.2025**

थाना मण्डावर पुलिस ने मु0अ0सं0 149/25 धारा 137(2)/352/351(2)/87/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.07.2025 को वादी ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि फैजान बेग पुत्र तौफीक बेग उर्फ भाईजान निवासी मौ0 शाहविलायत कस्बा व थाना मंडावर जनपद बिजनौर वादी की 17 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा इस सम्बंध में अभियुक्त फैजान के परिजनों से पूछने पर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 149/25 धारा 137(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान साक्ष्यों के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 87/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

आज दिनांक 31.07.2025 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फैजान पुत्र तौफीक बेग उर्फ भाईजान निवासी मौहल्ला शाहविलायत कस्बा व थाना मंडावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

फैजान पुत्र तौफीक बेग उर्फ भाईजान निवासी मौहल्ला शाहविलायत कस्बा व थाना मंडावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार सरोज थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

3.कां0 2375 उपेन्द्र मलिक थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नजीबाबाद **दिनॉक 31.07.2025**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये सामान सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 29.07.2025 को वादी आबिद पुत्र इर्शाद निवासी अलीपुर जट थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी की कोटद्वार–कोतवाली रोड नजीबाबाद में स्थित इलैक्ट्रिक रिपेयरिंग की दुकान से शटर खोलकर अल्टीनेटर व सैल्फ चोरी कर लिये गये। तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 267/25 धारा 305ए/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.बिलाल पुत्र इलियास 2.उस्मान उर्फ छोटू पुत्र रफीक निवासीगण मौ0 पठानपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही–

आज दिनांक 31.07.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.बिलाल पुत्र इलियास 2.उस्मान उर्फ छोटू पुत्र रफीक निवासीगण मौ0 पठानपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को चोरी किये गये 10 अल्टीनेटर व सैल्फ (पुराने) तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (यूपी20एसी1420) सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.बिलाल पुत्र इलियास निवासी मौ0 पठानपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2.उस्मान उर्फ छोटू पुत्र रफीक निवासी मौ0 पठानपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण–

1– 10 अल्टरनेटर, सेल्फ (पुराने)

2– घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल (यूपी20एसी1420)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त बिलाल–

1.मु0अ0सं0 267/25 धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उस्मान–

1.मु0अ0सं0 267/25 धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 136/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3.मु0अ0सं0 318/23 धारा 380/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
4.मु0अ0सं0 358/23 धारा 380/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.प्रभारी निरीक्षक धीरज सिंह सोलंकी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 अन्नु कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी 66 विवेक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
4.आरक्षी 962 शुभम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
5.आरक्षी 1814 देववृत थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर **दिनांक – 31.07.2025**

थाना मंडावर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.07.2025 को वादी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र रामबहादुर सिंह निवासी ग्राम टाण्डा महनादा थाना लकसर जनपद हरिद्वार ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा ग्राम नारायणपुर में शराब के ठेके के पास से वादी की जेब से मोबाइल फोन चोरी कर लिया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 163/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 31.07.25 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश मे आये अभियुक्तगण 1.बाले उर्फ धर्मवीर पुत्र घिस्सू निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मंडावर जनपद बिजनौर 2.राजकुमार उर्फ अजय पुत्र यशपाल निवासी ग्राम मिर्जापुर खादर थाना मंडावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया व बाले उर्फ धर्मवीर के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.बाले उर्फ धर्मवीर पुत्र घिस्सू निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मंडावर जनपद बिजनौर

2.राजकुमार उर्फ अजय पुत्र यशपाल निवासी ग्राम मिर्जापुर खादर थाना मंडावर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री कुलबीर सिंह थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

2.कां0 2334 भूषण थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

3.कां0 101 सुमित पंवार थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना चांदपुर　　　　**दिनॉक 31.07.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 162/25 धारा 126(2)/191(2)/190/351(3)/115(2)/109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 26.03.2025 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त मांगेराम निवासी मझौला गुर्जर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर व 05 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रास्ता रोक कर वादी के साथ जान से मारने की नियत से लाठी/डन्डो व लोहे की रॉड आदि से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 162/25 धारा 126(2)/191(2)/190/115(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग मे धारा 109(1) बीएनएस की वृद्धि की गई।

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.अरूण कुमार पुत्र गजे सिंह निवासी ग्राम मुकरपुर गुर्जर थाना हीमपुरदीपा जनपद बिजनौर व 2.विकास कुमार पुत्र परवेन्द्र निवासी ग्राम उलेढा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। दिनांक 16.07.2025 को अभियोग में अभियुक्त मेहर आलम पुत्र नूर ईलाही निवासी मौ0 मुफ्ती सराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 31.07.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मेहर आलम उर्फ भूरा पुत्र नूर ईलाही निवासी मौ0 मुफ्ती सराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक पाइप रिन्च सहित गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. मेहर आलम पुत्र नूर ईलाही निवासी मौ0 मुफ्ती सराय कस्बा व थाना चांदपुर बिजनौर।

बरामदगी का विवरण–

1– घटना में प्रयुक्त पाइप रिन्च।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.निरी0 प्रवेश पाठक क्राइम ब्रान्च जनपद बिजनौर।

2.व0उ0नि0 प्रदीप कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी 1203 सौरभ पंवार क्राइम ब्रांच जनपद बिजनौर।
4.आरक्षी 754 मुकेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात **दिनांक – 31.07.2025**

दिनांक 29.07.2025 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत कथित लूट की घटना असत्य पाए जाने पर पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के सम्बंध में।

विवरण –

दिनांक 29.07.2025 को शावेज पुत्र नवाब अहमद निवासी मौ0 इस्लामाबाद कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली देहात पुलिस को सूचना दी कि समय करीब 15.30 बजे वह अपनी पत्नी शना परवीन के साथ अपनी मोटरसाइकिल यूपी 14 डीएन 0946 से बरूकी-झालू नहर पटरी होते हुए झालू से नगीना अपनी ससुराल जा रहा था। रास्ते में ग्राम उगरवाला के पास मारूति-ईको कार सवार 03-04 अज्ञात बदमाश उसकी मोटरसाइकिल रोककर 04 हजार रूपये व उसकी पत्नी के आभूषण लूट कर मौके से फरार हो गये।

पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जांच शुरु की गयी। घटना के सम्बंध से वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 163/25 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रारंभ की गयी।

पुलिस द्वारा की गयी जांच / विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि लगभग एक वर्ष पूर्व बीमारी के कारण शावेज के पिता की मृत्यु हो गयी थी, जिस कारण शावेज के ऊपर काफी कर्ज हो गया था। इसके अतिरिक्त एक माह बाद (दिनांक 01.09.2025) को शावेज की चचेरी बहन कहकशा पुत्री दिलशाद की शादी होना तय थी। घर में चल रही चर्चा के कारण शावेज को आशंका थी की उसकी पत्नी के आभूषण उसकी माँ उसकी चचेरी बहन की शादी में दे देगी। इसी कारण दोनो पति – पत्नी (शावेज व शना परवीन) द्वारा झूठी घटना दर्शायी गयी। इस सम्बंध में वादी द्वारा अपनी माता के साथ थाने पहुंचकर उक्त सभी कारणों को दर्शाते हुए लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके द्वारा झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।